न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 236 / 2021

बनवारी लाल गर्वा पुत्र श्री किशनाराम गर्वा, निवासी 66 / 106, हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर, जिला जयपुर, मो0न0 9082939090

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 08.12.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.11.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 236 / 2021 पर दिनांक 18.11.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 3666–67 दिनांक 18.11.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 451 दिनांक 29.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री बनवारी लाल गर्वा द्वारा इस न्यायालय मे निर्णित वाद संख्या 77 / 2020 की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। उक्त वाद पत्रावली मे वांछित दस्तावेज की फोटो प्रति उपलब्ध है जिसकी प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध नही करवाई जा सकने के कारण आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक 451 दिनांक 30.11.2021 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 451 दिनांक 29.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री बनवारी लाल गर्वा द्वारा उनके न्यायालय मे निर्णित वाद संख्या 77 / 2020 की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। उक्त वाद पत्रावली मे वांछित दस्तावेज की फोटो प्रति उपलब्ध है जिसकी प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध नही करवाई जा सकने के कारण आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक 451 दिनांक 30.11.2021 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं का कथन उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि चाही गई सूचना प्रार्थी को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं